न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 22 / 24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024 / 133

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री इरफान अंसारी पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार निवासी आलनपुर रोड, मण्डी गेट सवाईमाधोपुर (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
श्री हयात अली वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 20.02..2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी. जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रॉयल कार वर्क शॉप आलनपुर मण्डी गेट, सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 9 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह श्री कीर्तेश मीना, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 19.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रॉयल कार वर्क शॉप,आलनपुर मण्डी गेट, सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री इरफान अंसारी पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 9 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं रिफलिंग किये जाने के अवैध कार्य मे उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गेस सलेण्डर का अवैध रिफलिंग कार्य में उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 9 गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रणथम्भोर गैस ऐजेन्सी बजरिया सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि श्री पवन कुमार सैन पुत्र श्री विष्णु कुमार सैन, निवासी सवाईमाधोपुर को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्व गैस वजन किग्रा
1.	आईओसीएल	020153	15.600	29.700	14.100
2.	आईओसीएल	228525	15.400	15.400	0.000
3.	आईओसीएल	43861	15.800	15.800	0.000
4	आईओसीएल	78652	15.900	29.900	14.000
5	आईओसीएल	450885	15.500	29.700	14.200
6	आईओसीएल	16188	15.300	29.400	14.100
7	आईओसीएल	049371	15.300	29.400	14.100
8	आईओसीएल	352757	15.900	29.900	14.000
9	आईओसीएल	534230	15.500	15.700	0.200
	कुल गैस भार		140.20	224.90	84.70

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:05:30 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुत. 6ए संख्या 22/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम इरफान अंसारी)

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 9 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध निराधार तथ्यो के आधार पर 6ऐ का प्रकरण बनाया है क्योकि प्रकरण मे प्रार्थी की फर्म पर 9 गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं 2 गैस रिफलिंग मशीन तथा रेगूलेटर अप्रमाणित पाये जाने का प्रकरण बनाया गया है जबकि परिवाद मे किसी भी गैस सलेण्डर को रेगूलेटर से जोडा जाकर उपयोग मे लिये जाने का तथ्य न तो मौका रिपोर्ट में दर्ज है ना ही फर्द जब्ति मे और ना ही प्रार्थना पत्र मे दर्ज है ऐसी स्थिति में सलेण्डर का दुरूपयोग किये जाने का कथन बेबुनियाद एवं निराधार व असत्य है। उक्त सभी गैस सलेण्डर बिना सीरियल नम्बर अंकित नही होने से इस तथ्य की पुष्टि नही होती है कि कौनसा सलेण्डर किस उपभौक्ता को जारी किया गया है। इस प्रकार सीरियल नम्बर की जानकारी के बिना ही अन्य गैस ऐजेन्सी (आईओसीएल) के सलेण्डर रेणू गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधी की सुपुर्दगी मे दिया जाना नियम विरूद्व है। प्रार्थी की फर्म पर रेणू गैस एन्टरप्राईजेज मैसर्स रणथम्भौर गैस ऐजेन्सी का वैद्य उपभौक्ता है तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर दस्तावेज भी दिखाये जाने के उपरान्त भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त गैस सलेण्डर जब्त कर भारी भूल की है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्व की गयी 6ऐ की कार्यवाही विधिविरूद्व होने से निरस्त की जावे एवं प्रार्थी की फर्म से जब्त किये गये 9 गैस सिलेण्डर को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 19.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 9 गैस सलेण्डर अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने का कोई विधिक स्वीकृति उपलब्ध नही करवायी गयी ओर ना उचित कारण नही बताया गया है। मौके पर जब्त गैस रिफलिंग की 2 मशीनो से उक्त गैस सलण्डेरर्स का उपयोग गैस रिफलिंग किये जाने की पुष्टि होती है। चूंकि अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सलेण्डर रखे जाने एवं उनका उपयोग गैस रिफलिंग हेतु किये जाने के संबंध में कोई ठोस विधिक स्वीकृति उपलब्ध करवाने मे असमर्थ रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सलेण्डरर्स का अपनी फर्म पर अवैधानिक तरीके से भण्डारण कर व्यवसायिक उपयोग किये जाने की पुष्टि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 9 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 9 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:05:30 IST
Reason: SelfAttested